कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा श्रीमती वन्दना बघेला, प्रधानाचार्य, बौ. बद्री राउमावि परौआ जिला धौलपुर का स्थानान्तरण राउमावि राजाखेडा जिला धौलपुर किया गया था जिसके विरूद्ध वन्दना बघेला द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2637/2021 वन्दना बघेला बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 2637/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2021 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती वन्दना बघेला को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के एकल महिला होने, पिता का स्वर्गवास हो जाने एवं अपनी माता के वृद्ध होने के कारण पूर्णतया याचिकार्थी पर निर्भर रहने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन बौ. बद्री राउमावि परौआ, सैपउ जिला धौलपुर/राउमावि भैसाना जिला धौलपुर अथवा राउमावि तोर दानियाल जिला धौलपुर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 में राज्य सेवा के कार्मिकों में एकल महिला होने एवं माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। याचिकार्थी को धौलपुर जिले में ही निकटस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। राज्य सेवा के किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। उन्हें सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। जिले में ही पदस्थापित रहते हुए भी इच्छित स्थान पर पदस्थापन की याचिकार्थी की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार याचिकार्थी श्रीमती वन्दना बघेला द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/वन्दना बघेला/2637/2021/251 **दिनांकः** 23.06.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक धौलपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती वन्दना बघेला, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)